उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-2

संख्या-सी0एम0-75 /एक-2-2020-62(सा0)/2018

लखनऊः दिनांक 03 जुलाई, 2020

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 के जनपद बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत एवं लखीमपुर खीरी में आजादी के बाद विभिन्न स्थानों से आकर बसे परिवारों/किसानों द्वारा सम्बन्धित जनपद में ग्राम सभा व सरकारी जमीनों पर तत्समय से आवासित एवं कृषि कार्य किये जाने तथा पीलीभीत के नानकसागर डैम से विस्थापित किये गये परिवारों को पुनर्वासित करने व उक्त प्रकार के कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु जनहित में जनपद के सम्बन्धित मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में राजस्व, वन एवं सिंचाई विभाग को मिलाकर निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

1.	जनपद से सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	जनपद से सम्बन्धित मण्डल के मुख्य वन संरक्षक व सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0)	सदस्य
3.	सम्बन्धित मण्डल के मुख्य अभियंता व सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियंता, सिंचाई	सदस्य
4.	सम्बन्धित मण्डल के उप गन्ना आयुक्त व सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी	सदस्य
5.	जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य/सचिव
6.	जनपद के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी	सदस्य

2- प्रकरण में विचार हेतु किसी अन्य विभाग के अधिकारी की आवश्यकता होने पर समिति सम्बन्धित विभाग के अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर सकती है।

3- समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार कर प्रकरण के समाधान के सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति उपलब्ध करायी जायेगी:-

(1) ऐसे परिवारों की प्रास्थिति तथा भूमि का रकबा जिस पर उनका कब्जा बताया जा रहा है।

(2) तत्समय व वर्तमान अभिलेखों के अनुसार भूमि की प्रास्थिति।

(3) समितियों द्वारा वन विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभागों से सम्बन्धित विभिन्न विधिक प्रावधानों के आलोक में वन विभाग, सिंचाई विभाग व अन्य सुसंगत विभागों के अभिलेखों, राजस्व विभाग के मूल बन्दोबस्त से लेकर अद्यतन राजस्व अभिलेखों का गहन परीक्षण कर सम्बन्धित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन/सर्वे किया जाये। इन क्षेत्रों में भूमि के वास्तविक स्थिति क्या है अथवा क्या होनी चाहिए।

(4) समिति द्वारा इस तथ्य का भी परीक्षण किया जायेगा कि जिन भूखण्डों को वन विभाग का बताया जा रहा है वे उन भूखण्डों के सम्बन्ध में वन अधिनियम-1927 की धारा-4 की अधिसूचना कब जारी की गयी है? यह अधिसूचनाऐं गाटावार (रकबा सहित) भूखण्डों को समाहित करते हुए जारी की गयी थी अथवा नही?

(5) धारा 20 की अधिसूचना जारी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया था या नही?

(6) जब कथित रूप से कृषक भूमि पर खेती कर रहे थे तो वह भूमि वन भूमि के रूप में कैसे दर्ज हो गयी? वर्ष 1947 से कब्जा होने एवं 15 वर्ष निरन्तर खेती करने के बावजूद किसानों की जो भूमि वन भूमि के रूप में दर्ज कर दी गयी थी, क्या इसे पुनः वापस किया जा सकता है?

(7) प्रश्नगत प्रकरण में अतिक्रमण यदि 1980 के पूर्व का है तो Regularization of old Encroachment की FC act में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही के द्वारा कृषकों को क्या राहत प्रदान की जा सकती है?

(8) कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु रोडमैप क्या होना चाहिए? इस सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति अपेक्षित है।

(9) भूमि का सत्यापन/पैमाइश प्रभावित पक्ष की उपस्थिति में किया जाय तथा सत्यापन/पैमाइश किये जाने के प्रमाण स्वरूप उनका हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जाय।

समिति उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए संस्तुति सहित आख्या 03 माह के भीतर शासन को उपलब्ध करायेगी।

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/एक-2-2020 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, सिंचाई व चीनी एवं गन्ना उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
5. जिलाधिकारी, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत एवं लखीमपुर खीरी।
6. मुख्य वन संरक्षक, मुरादाबाद, लखनऊ व बरेली।
7. मुख्य अभियंता (शारदा), बरेली/मुख्य अभियंता (पूर्वी गगंा), मुरादाबाद।
8. उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र, मुरादाबाद/बरेली।
9. मुख्य राजस्व अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, व लखीमपुर खीरी।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत व लखीमपुर खीरी।
11. अधिशासी अभियंता, सिंचाई, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत व लखीमपुर खीरी।
12. जिला गन्ना अधिकारी, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत व लखीमपुर खीरी।
13. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत व लखीमपुर खीरी।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ह0/
(संजय गोयल)
सचिव।